यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला **कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कालेज, सैजना, खटीमा, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड,** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कालेज, सैजना, खटीमा, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड,** के 04/2012 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुनील दत्त, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री जतिन राणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी(तदर्थ) द्वारा दिनांक 09.08.2018 से 14.08.2018 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2012 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र**: राजकीय इंटर कालेज सैजना है, इकाई का क्रियाकलाप कक्षा 06 से 12 तक के छात्र एवं छात्राओं को शिक्षा प्रदान की जाती है विध्यालय स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन नहीं होता है।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ मे)

वर्ष	योजना का नाम	आवंटन	व्यय	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
2012-13	**2202 (secondary Education)**	**24500.00**	**24388.00**	**-**	**112.00**
2013-14	**2202 (secondary Education)**	**22000.00**	**21994.00**	**-**	**6.00**
2014-15	**2202 (secondary Education)**	**204250.00**	**198524.00**	**-**	**5726.00**
2015-16	**2202 (secondary Education)**	**97185.00**	**97169.00**	**-**	**16.00**
2016-17	**2202 (secondary Education)**	**124024.00**	**121834.00**	**-**	**2190.00**
2017-18	**2202 (secondary Education)**	**20000.00**	**19999.00**	**-**	**1.00**
	Total	**491959.00**	**483908.00**	**-**	**8051.00**

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्राप्त		व्यय			बचत	
		GoI	State	GoI	State	Total	GoI	State
2012-13		00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013-14	RMSA (integrated)	75000	0.00	68388	0.00	68388	6612	0.00
2014-15	RMSA (integrated)	75000	0.00	73913	0.00	73913	1087	0.00
2015-16	RMSA (integrated)	25000	0.00	23975	0.00	23975	1025	0.00
2016-17	RMSA (integrated)	50000	0.00	49560	0.00	49560	440	0.00
2017-18	RMSA (integrated)	41282	0.00	36360	0.00	36360	4922	0.00
योग:		**266282**	0.00	**252196**	0.00	**252196**	**14086**	0.00

(स) कार्यक्रम/योजना/परियोजना के क्रियान्वयन मे संलग्न समितियों एवं एन०जी०ओ का विवरण:

S.No	Year	Name of Society/ NGO involved	Government expenditure through Society/NGO
1	2	3	4
1	2015-16	---nil---	
2	2016-17		
3	2017-18		

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इकाई द्वारा प्राप्त धनराशि को केंद्र एवं राज्य से प्राप्तियों के रूप मे अलग अलग नहीं रखे जा रहे है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "C" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा संलग्न है।

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र राजकीय इंटर कालेज सैजना है नमूना लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कालेज, सैजना** खटीमा, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। **माह मई 2013 एवं फरवरी 2017** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। इकाई का क्रियाकलाप कक्षा 06 से 12 तक के छात्र एवं छात्राओं को शिक्षा प्रदान की जाती है विध्यालय स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन नहीं होता है।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2(ब)

प्रस्तर-1: विभागीय उदासीनता के फलस्वरूप नई अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत नियुक्त कार्मिकों के मूल वेतन, महंगाई भत्ता के 10 प्रतिशत के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान न हो पाना रु० 412,161/-।

उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों के लिए "अंशदायी पेंशन योजना" शासनादेश **21/XXVII(7)/अ०पे०यो/2005** के अनुसार दिनांक 25.10.2005 से लागू की गयी। नयी अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत मूल वेतन, और महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान किया जाएगा। इसी के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय इंटर कॉलेज, सैजना, खटीमा, उधम सिंह नगर में नयी पेंशन योजना के अंतर्गत कार्यरत कार्मिकों के अंशदायी पेंशन पासबुक जांच मे पाया गया था कि वित्तीय वर्ष 2016-17 तक कार्मिकों के मूल वेतन, महंगाई भत्ता के 10 प्रतिशत के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान राज्य सरकार द्वारा कोषागार के माध्यम से किया जा रहा था। परन्तु वित्त वर्ष 2017-18 के प्रारम्भ से कार्मिकों के मूल वेतन, महंगाई भत्ता के 10 प्रतिशत धनराशि की कटौती के समतुल्य employer share जमा नहीं किया जा रहा है।

कार्यालय मे चार कर्मचारी NPS योजना के तहत नियुक्त हैं, और 2017-18 से employer share उनके खाते में जमा नहीं किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्न सारणी के अनुसार प्रस्तुत है:

क्रम सं	**नाम**	**पदनाम**	**2017-18 मे employee share**	**2018-19 में जुलाई तक अंशदान**
1	श्री सत्य प्रकाश सिंह	प्रवक्ता	84566/-	29808/-
2	श्रीमती दीपा पाण्डे	स०अ	74112/-	26093/-
3	श्रीमति रेखा सहदेव	प्रवक्ता	70982/-	24582/-
4	श्रीमति रुचि अग्रवाल	स०अ	75348/-	26670/-
कुल			**305008/-**	**107153/-**

उपरोक्त तालिकानुसार चारों कार्मिकों का वित्तीय वर्ष 2017-18 से अंशदान रु० 305008/- एवं रु० 107153/- कुल धनराशि रु० 412,161/- के समतुल्य धनराशि सभी कार्मिकों के Tier-I खाते में जमा किया जाना चाहिए था। इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि - "अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत अध्यापक/कर्मचारियों की कटौतियां प्रारम्भ से ही कोषागार द्वारा की जा रही है, एवं सरकारी अंशदान की कटौती भी ट्रेजरी द्वारा की जाती है, आहरण-वितरण अधिकारी का दायित्व मात्र प्रत्येक महीने संशोधन कोषागार को भेजना होता है, इससे पूर्व कोषागार द्वारा कभी कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं"। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है, चूंकि नयी पेंशन योजना के अंतर्गत कार्मिक को Employer Share का भी लाभ मिलना चाहिए था, जिससे कि वे वंचित हो रहे थे, साथ ही इकाई द्वारा इतने समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी कोषागार से पत्राचार आदि द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गयी थी।

अतः उपरोक्त कार्मिकों का Employer Share कुल रु० 412,161/- से वंचित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

क्रमांक	**प्रतिवेदन संख्या**	**भाग दो अ**	**भाग दो ब**	**नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी**
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है				

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है				

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--------------शून्य-----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कालेज, सैजना, खटीमा, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड**, तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है, तथापि

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

-शून्य-

2. **सतत् अनियमितताएः**

-शून्य-

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र.सं. नाम	पदनाम	अवधि
1。 श्री बी。 सी。 पंत	प्रधानाचार्य	01.04.2012 से 31.03.2015
2。 श्री शिव दत्त पांडे	प्रधानाचार्य (प्रभारी)	01.04.2015 से 18.09.2015
3。 श्री बालकृष्ण भट्ट	प्रधानाचार्य	19.09.2015 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कालेज, सैजना, खटीमा, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड, को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, “महालेखाकर भवन” कौलागढ़, देहरादून-248195 को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.